भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
**लोक सभा**
अतारांकित प्रश्न सं. 5817

**(जिसका उत्तर सोमवार, 30 मार्च, 2026/09 चैत्र 1948 (शक) को दिया जाना है)**

**विदेशी धन और सीएफडी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म**

**5817. श्री कार्तिक चन्द्र पॉल**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अथवा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्राधिकार के बिना विदेशी धन और कांट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (सीएफडी) जैसे ओलंप ट्रेड और इसी प्रकार के अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे विदेशी प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाले भारतीय निवेशकों की संख्या और इसमें सम्मिलित संभावित वित्तीय जोखिमों का आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए उक्त अनियंत्रित विदेशी व्यापार प्लेटफार्मों को विनियमित करने अथवा उन तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार भारत के विनियामक ढांचे से बाहर कार्य करने वाले ओलंप ट्रेड सहित ऐसे विदेशी धन वाले तथा सीएफडी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त राज्य मंत्री**

**(श्री पंकज चौधरी)**

(क) से (घ): मौजूदा सांविधिक एवं विनियामक फ्रेमवर्क के अनुसार, भारत में निवासी व्यक्ति केवल अनुमेय चालू और पूंजी खाता लेनदेन के लिए ही विदेशी मुद्रा क्रय/विक्रय कर सकते हैं; और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों से/को ही विदेशी मुद्रा का क्रय/विक्रय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 16 जून, 2025

के मास्टर निर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) दिशानिर्देश, 2025 और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2018 के अनुसार, कोई भी संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भारत में विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) संचालित नहीं कर सकती है। पात्र लिखतों में लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) संचालित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।

प्राधिकृत ईटीपी की सूची के अलावा, आरबीआई नियमित रूप से 'अलर्ट लिस्ट' भी प्रकाशित करता है, जिसमें उन संस्थाओं के नाम शामिल होते हैं जो बिना प्राधिकार के नागरिकों को विदेशी मुद्रा व्यापार सुविधाएँ प्रदान करती पाई गई हैं, या ऐसी अनधिकृत संस्थाओं/ईटीपी को बढ़ावा देती हैं। नवीनतम 'अलर्ट लिस्ट' में ओलंप ट्रेड का नाम शामिल है। 'अलर्ट लिस्ट' आरबीआई को प्राप्त शिकायतों/संदर्भों और अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर संकलित की जाती है। आरबीआई ने टीवी, डिजिटल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से एडवाइजरी और जागरूकता अभियान चलाकर जनता को अनधिकृत संस्थाओं/अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के साथ विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के प्रति सचेत किया है। इसके अलावा, प्राधिकृत डीलर श्रेणी - I बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देने में बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिक सतर्क रहें और अपने ग्राहकों को संबंधित जोखिमों के बारे में जागरूक करें।

गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4C) की स्थापना की है ताकि विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईएएएस) को किसी भी साइबर अपराध से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क और इको-सिस्टम उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे अनधिकृत प्लेटफार्मों के माध्यम से किए गए व्यापार सहित वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है।

प्रवर्तन निदेशालय को फेमा, 1999 और संबंधित नियमों एवं विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने तथा विधि का उल्लंघन करने वालों का अधिनिर्णयन करने और उन पर दंड लगाने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले, एक अवैध ऑफशोर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच शुरू की गई थी और अपराध से प्राप्त आय को जब्त कर लिया गया था।

***